THE RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.
दि राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लि०,
डी.सी.1, लाल कोठी शॉपिंग सेन्टर, नेहरू बालोद्यान के सामने, टोंक रोड़, जयपुर–302015

क्रमाकः आरएससीबी/परिचालन/2019–20/1275 दिनांकः 17.05.2019

प्रबन्ध निदेशक,
केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०,
.................................(समस्त)

विषयः– सहकारी फसली ऋण ऑनलाईन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019 की क्रियान्विति के क्रम में।

महोदय,

राज्य सरकार के निर्देशानुसार अल्पकालीन फसली ऋण व्यवस्था को ऑन–लाईन किये जाने के लिये **"सहकारी फसली ऋण पोर्टल"** पर पंजीयन एवं आधार आधारित अभिप्रमाणन के पश्चात् DMR के माध्यम से फसली ऋण वितरण हेतु शीर्ष बैंक द्वारा **"सहकारी फसली ऋण ऑनलाईन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019"** सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को क्रियान्विति हेतु प्रेषित की गयी है। इस संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाकर केन्द्रीय सहकारी बैंकों के स्तर से इनकी पालना सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा हैः–

1. इस योजना की क्रियान्विति हेतु राज्य की सभी पैक्स/लैम्प्स एवं बैंक की शाखाओं में कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर, बायो–मैट्रिक डिवाईस एवं इन्टनेट कनेक्टिविटी होना आवश्यक है। अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि इस हेतु प्रबन्ध निदेशकगण व्यक्तिगत ध्यान देते हुये समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करें ताकि बी.सी. ई–मित्रों पर न्यूनतम निर्भरता रहे।
2. सहकारी फसली ऋण पोर्टल पर पंजीयन हेतु जिले के सभी ई–मित्रों को भी इस उद्देश्य हेतु बी.सी. बनाया जा रहा है। अतः प्रबन्ध निदेशकगण यह सुनिश्चित करें कि ई–मित्र केन्द्रों पर पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहे। ई–मित्र केन्द्रों पर केवल पंजीयन की सुविधा उपलब्ध होगी, अन्य समस्त कार्यवाही पैक्स/लैम्प्स के द्वारा ही सम्पादित की जावेगी।
3. सहकारी फसली ऋण पोर्टल पर पंजीयन हेतु पंजीयन फीस रूपये 25/– प्रति पंजीयन निर्धारित की गयी है। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि पैक्स/लैम्प्स/ई–मित्र केन्द्रों द्वारा इस उद्देश्य हेतु निर्धारित फीस से अधिक राशि वसूल नहीं की जावे।
4. निर्धारित आवेदन–पत्र की प्रति विभागीय वेब–साईट, शीर्ष बैंक वेब–साईट पर उपलब्ध है। अतः सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि इन आवेदन–पत्रों की प्रतियां सभी पैक्स, लैम्प्स, बैंक की शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर किसानों के लिये निःशुल्क उपलब्ध रहे।
5. बैंकों के स्तर से अपने कार्यक्षेत्र में योजना का पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावे ताकि किसानों को पंजीयन एवं ऋण वितरण की समस्त प्रक्रिया आसानी से समझ में आ सके।
6. प्रथम चरण में नियमित रूप से फसली ऋण का चुकारा करने वाले ऋणी किसानों का पंजीयन सहकारी फसली ऋण पोर्टल पर होगा। द्वितीय चरण में अवधिपार ऋणी सदस्यों एवं नये किसानों के पंजीयन हेतु पृथक से निर्देश प्रदान किये जायेंगे।
7. Grievance Redressal Authority (GRA) के सम्बन्ध में विभाग स्तर से पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।
8. किसानों को फसली ऋण वितरण DMR के माध्यम से ही किया जाना है, अतः इस हेतु समस्त व्यवस्थायें शाखा स्तर पर उपलब्ध हों, इसकी सुनिश्चितता प्रबन्ध निदेशकगण स्वयं करें। साथ ही किसानों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया जाना एवं इसके सुरक्षित उपयोग के संबंध में समस्त आवश्यक जानकारी किसानों को उपलब्ध करवायी जावे।

21

9. समितियों के स्तर पर किसानों की जमा हिस्सा–राशि की सूचना शीर्ष बैंक को तत्काल उपलब्ध करायी जावे ताकि पोर्टल पर उनकी हिस्सा राशि अंकित की जा सके। अन्यथा किसानों से दोहरी हिस्सा–राशि वसूली की जाने की जिम्मेदारी संबंधित समिति/बैंक की होगी।
10. इस योजना की क्रियान्विति हेतु पैक्स/लैम्प्स में FIG के माध्यम से अधिक से अधिक भुगतान/वसूली सुविधा का उपयोग हो, इस हेतु प्रबन्ध निदेशकगण बैंक स्तर से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
11. इस योजना के क्रियान्वयन में बैंक स्तर पर आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु नोड़ल अधिकारी, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोड़ल अधिकारी तथा नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त नोड़ल/प्रभारी अधिकारियों के नाम, पद एवं मोबाईल नंबर शीर्ष बैंक को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(इन्दर सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमाक:आरएससीबी/परिचालन/2019–20/1276 दिनांकः 17.05.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव(सहकारिता), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
5. अध्यक्ष/प्रशासक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., ... (समस्त)
6. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग), सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, खण्ड, ... (समस्त)
8. उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, ... (समस्त)
9. जन सम्पर्क अधिकारी, कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड़ करने एवं राज्य स्तर पर प्रचार–प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।
10. महाप्रबन्धक(आ.वि.)/(ईडीपी), शीर्ष बैंक, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
11. उप महाप्रबन्धक, ...अनुभाग, शीर्ष बैंक, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
12. क्षेत्रीय प्रबन्धक, शीर्ष बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय .... (समस्त)
13. अध्यक्ष/व्यवस्थापक, पैक्स/लैम्प्स, ...(समस्त)
14. जनसम्पर्क अधिकारी, शीर्ष बैंक, प्रधान कार्यालय, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शीर्ष बैंक स्तर से योजना का प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।
15. गार्ड फाईल।

प्रबन्ध निदेशक